

प्रेषक,

विजय विश्वास पन्त,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 22 मई, 2020

विषय:-भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान संख्या-35 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं केन्द्रांश के सापेक्ष आंकलित राज्यांश को कोषागार से आहरित कर राज्य स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प०क०/4-बजट/एन०एच०एम०(केन्द्रांश+राज्यांश)/2020-21/1071, दिनांक 04.04.2020 एवं वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/2019-20/लेखा/249/76, दिनांक 15.04.2020, पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/2019-20/लेखा/249/181, दिनांक 30.04.2020 तथा वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उ०प्र० के पत्र संख्या-प०क०/4-बजट/एन०एच०एम०(केन्द्रांश+राज्यांश)/2020-21/1085(4), दिनांक 16.04.2020, पत्र संख्या-प०क०/4-बजट/एन०एच०एम०/अनु० 35/2020-21/2051, दिनांक 04.05.2020 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-35 के आय-व्ययक में उपलब्ध बजट प्राविधान रू० 339492.63 लाख में से पुष्टिकृत केन्द्रांश रू० 13209.00 लाख के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश रू० 8806.00 लाख को जोड़ते हुए अर्थात् कुल धनराशि रू० 22015.00 लाख (रू० दो अरब बीस करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने के लिये राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 एवं शासनादेश दिनांक 11.04.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
- (3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (4) महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जायेगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा इस योजना के लिये पूर्व में स्वीकृत /अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।"

3- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-35 राजस्वलेखा के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक "2211-परिवार कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के060/रा-40-के0+रा0)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-3-500/दस-2020, दिनांक 20.05.2020 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)

सचिव।

संख्या-16/2020/286(1)/पॉच-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 4- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- 9- कम्प्यूटर सेल/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।